न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2016/163** दायर दिनांक **17.11.2016**

वादी		प्रतिवादीगण
1. बलबीर पुत्र गोरधनराम, जाति जाट, निवासी मावा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान तहसील डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. शिवभगवान पुत्र कालूराम, 2. शिवभगवान पुत्र गोरधनराम, 3. लिछमणराम पुत्र गोरधनराम, 4. परमेश्वरी पत्नि लिछमणराम, 5. पन्नाराम पुत्र गोरधनराम, समस्त जाति जाट, निवासी मावा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित–

1. श्री हीरसिंह बलारा व रणजीत बलारा अधिवक्ता, वादी की ओर से।
2. श्री मोहम्मद रफिक एडवोकेट अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनांक **11.02.2017**

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 232 रकबा 43.11 बीघा, खसरा संख्या 235 रकबा 8.11 बीघा, खसरा संख्या 239 रकबा 12.15 बीघा, खसरा संख्या 240 रकबा 105.04 बीघा, खसरा संख्या 416 रकबा 6.17 बीघा, कुल 176.18 बीघा वाके मावा स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादी के पिता गोरधन व प्रतिवादी नम्बर 01 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। यह है कि प्रतिवादी नम्बर 03 वादी के भाई लिछमणराम का पुत्र है। तथा वादी के पिता गोरधनराम का स्वर्गवास दिनॉक 15.06.2005 को हो चुका है, उक्त खेत पैतृक है, उपरौक्त खेतो की खातेदारी में शिवभगवान पुत्र कालूराम का नाम सहव से दर्ज हो गया है, क्योंकि शिवभगवान पुत्र कालूराम नाम का कोई भी व्यक्ति पक्षकारान के परिवार या गांव में नहीं है। उपरौक्त खेतो में वादी व प्रतिवादी नम्बर 02, 03, 04 व 05 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिंस्सा कानूनन है, तथा चारो भाईयों का 1/4–1/4 हिंस्से पर कब्जा काश्त अबाध रूप से चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 02 ता 05 उक्त खेतो की खातेदारी की घोषणा चारो के नाम से करवाने के जायज व कानूनन हकदार है। तथा उपरौक्त खेतो की खातेदारी में प्रतिवादी नम्बर 01 शिवभगवान पुत्र कालूराम के गलत अंकन से उसके नाम को हटाया जाकर उपरौक्त खेतो की खातेदारी में वादी व प्रतिवादी नम्बर 02 ता 05 के नाम से खातेदारी की जानी न्यायोचित है, प्रतिवादी शिवभगवान स्वर्गीय गोरधनराम का जायन्दा पुत्र है। इसलिये शिवभगवान पुत्र कालूराम की जगह शिवभगवान पुत्र गोरधनराम के नाम की दुरूस्ती की जानी आवश्यक है। तथा वादी व प्रतिवादी नम्बर 02 ता 05 का हित एक ही है, एक दुसरे के खिलाफ नहीं है। और सकुनत पर हाजिर नहीं होने से उन्हे प्रोफार्मा प्रतिवादीगण बनाये गये है। तथा वादी व उसके भाईयों के नाम से खातेदारी नहीं होने से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है, और सभी तरह की सरकारी सहयोग से वंचित है, जिसके कारण वादी ने यह दावा किया है तथा खातेदारी में गलत अंकन शिवभगवान पुत्र कालूराम का नाम हटाया जाने का कानूनन अधिकारी है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 5 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 के सम्मन पर रिर्पोट आयी है कि इन नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 ने राजीनामा पेश किया जो तस्दीक कर शामील पत्रावली किया गया।

शहादत वादी में PW–01 बलबीर ने आदेश 18 नियम 04 सी0पी0सी0 का शपथ–पत्र पेश किया।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श–01 जमाबन्दी की नकल, प्रदर्श–02 शिवभगवान का पासपोर्ट, प्रदर्श–03 निर्वाचन कार्ड, प्रदर्श –04 आधार कार्ड, प्रदर्श –5 परिवार कार्ड, प्रदर्श–6 मृत्यु प्रमाण पत्र, राजीनामा प्रदर्श –7 न्यायालय पेश किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा की गई सारगर्भित बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

अधिवक्ता वादी, उक्त दस्तावेजात व साक्ष्यो के आधार पर अपनी खातेदारी की घोषणा चाही है, उक्त दस्तावेजात, शपथ पत्रो व वाद के अनुसार वादी वाद को डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे है।

अतः राजीनामा के अनुसार वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः जरिये राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद मावा में खेत खसरा नम्बर 232 रकबा 43.11 बीघा, खसरा संख्या 235 रकबा 8.11 बीघा, खसरा संख्या 239 रकबा 12.15 बीघा, खसरा संख्या 240 रकबा 105.04 बीघा, खसरा संख्या 416 रकबा 6.17 बीधा, कुल 176.18 बीघा की खातेदारी में से गलत अंकन शिवभगवान पुत्र कालूराम का नाम हटाया जाकर वादी बलबीर, प्रतिवादी नम्बर 02 शिवभगवान, प्रतिवादी नम्बर 03 संदीप, प्रतिवादी नम्बर 04 परमेश्वरी, प्रतिवादी नम्बर 05 पन्नाराम को स्वतन्त्र खातेदारी व काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरुप राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावे। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **11.02.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

दिनांक!- 7/6/17

नोट:- प्रतिवादी नं0 03 शिवभगवान पुत्र गौरधनराम के स्थान पर प्रतिवादी नं0 03 संदीप पुत्र शिवभगवान दुरुस्त किया जाता है

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2016/163 — दायर दिनांक 17.11.2016

वदी		प्रतिवादीगण
1. बलबीर पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी मावा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. शिवभगवान पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी मावा तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 11.02.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, वादी की ओर से श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा जरिये राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद मावा में खेत खसरा नम्बर 232 रकबा 43.11 बीघा, खसरा संख्या 235 रकबा 8.11 बीघा, खसरा संख्या 239 रकबा 12.15 बीघा, खसरा संख्या 240 रकबा 105.04 बीघा, खसरा संख्या 416 रकबा 6.17 बीघा, कुल 176.18 बीघा की खातेदारी में से गलत अंकन शिवभगवान पुत्र कालूराम का नाम हटाया जाकर वादी बलबीर, प्रतिवादी नम्बर 02 शिवभगवान, प्रतिवादी नम्बर 03 संदीप, प्रतिवादी नम्बर 04 परमेश्वरी, प्रतिवादी नम्बर 05 पन्नाराम को स्वतन्त्र खातेदारी व काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.........—.......... मुबलिंग...........—.............. बाबत....................—....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.02.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

दिनांक :- 7/6/17
नोट :- प्रतिवादी सं. 03 शिवभगवान पुत्र गोरधनराम के स्थान पर प्रतिवादी सं. 03 संदीप पुत्र शिवभगवान इन्द्राज किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः–163–2016/रीडर/2016/ 164 दिनांक 20/2/17

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा–53, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1.बलबीर पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी मावा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. शिवभगवान पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी मावा तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner